

क्रमांक: 149-151/भू0अ0/ज0सं0/2015/ 4408  
घोषणा

दिनांक: 14/11/2018

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रामगढ़ -1 माईको सिचाई परियोजना के शेष रहे खसरो की भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानों के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा तथा अधिशाषी अभियन्ता, बांध खण्ड-प्रथम माही परियोजना बांसवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार  
सलग्न:-सूची

आज्ञा से,

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै.सहायक  
वारंते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर। o/c

क्रमांक: 149-151/ भू0अ0/ज0सं0/2015/ 4409 - 4412

दिनांक: 14/11/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग उदयपुर।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
- 3-अधिशाषी अभियन्ता, बांध खण्ड-प्रथम माही परियोजना बांसवाड़ा को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशाल के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।  
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4-भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सांराश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै.सहायक,  
वारंते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर। o/c

13/11/18



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, बाँध खण्ड-प्रथम, माही परियोजना, बाँसवाडा**

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुसार रामगढ-1 फोर वाटर अन्तर्गत माईक्रो सिंचाई योजना के तालाब के डूब/निर्माण में अवाप्त होने वाली भूमि के शेष रहे खातेदारों की धारा-19 के प्रस्ताव


भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाँसवाडा (राज.)


गाँव - रामगढ तहसील आम्बापुरा जिला बाँसवाडा (राज.) के अवाप्त होने वाली भूमि/सम्पत्ति के खातेदारों की सूची/ रकबा एकड़ों में।

क.सं	खसरा नम्बर	कुल रकबा एकड़ों में	किस्म जमीन	अवाप्त होने वाली भूमि एकड़ों में	नाम खातेदार
1	2	3	4	5	6
1	141	0.94	ख.च.	0.94	श्रीमती दुर्गा पत्नी रामलाल भील सा.देह खातेदार
2	142	3.10	काली चरनोई	2.10	बशरह सदर
3	143	1.74	ख.च.	1.74	रमेश पिता भलीया, काली बेवा भलीया, कानजी, हुरजी पिता गलिया भील सा. देह खातेदार
4	144	1.24	ख.च.	1.00	बशरह सदर
5	145	0.86	ख.च.	0.86	बशरह सदर
6	148	0.88	ख.च.	0.45	जीवणा पिता नाहरेंग, कचरी बेवा नाहरेंग भील सा.देह खातेदार
	687/148	0.46	ख.च.	0.20	जोतीया पिता नाहरेंग भील सा.देह खातेदार
कुल योग :-				7.29	एकड़

द्वारा अवाप्त होने वाली भूमि का विवरण/रकबा एकड़ों में।

क.सं	नाम गाँव	श्री सरकार रकबा एकड़ों में	खातेदार रकबा एकड़ों में	कुल योग रकबा एकड़ों में
1	रामगढ	0.00	7.29	7.29

  
 (निरंजन भीणा)  
 अधिशासी अभियन्ता  
 बाँध खण्ड-प्रथम  
 माही परियोजना, बाँसवाडा

  
 (जितेन्द्र वर्मा)  
 अधीक्षण अभियन्ता  
 निर्माण वृत्त  
 माही परियोजना, बाँसवाडा

जितेन्द्र वर्मा  
 उप सहायक अभियन्ता  
 बाँध खण्ड-प्रथम  
 माही परियोजना, बाँसवाडा  
 13/11/18